

विज्ञान प्रसार, नोएडा
Vigyan Prasar, Noida

प्रपत्र - 1
नियम 14, द्वितीय अनुसूची नियम 3 (एच) देखें

FORM - 1
See Rule 14-II Schedule Rule 3(h)

अर्जित/अर्द्धवेतन/परिवर्तित अवकाश या अवकाश विस्तार के लिए आवेदन पत्र
Application for Earned/HPL/Commuted Leave or For Extension of Leave

1. आवेदक का नाम Name of Applicant :
2. धारित पद Post held :
3. अनुभाग Section :
4. वेतन Pay : रु0 Rs.
5. वर्तमान पद में आहरित मकान किराया भत्ता एवं अन्य प्रतिकर भत्ते : रु0 Rs.
House Rent and other Compensatory Allowance drawn in the present post.
6. अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक आवेदित है तथा उसकी प्रकृति :
Name and period of leave applied for and date from which required
7. अवकाश के पूर्व/क्रम में प्रस्तावित शनिवार, रविवार तथा अवकाश यदि कोई हो। : पूर्व में Prefix
Saturday, Sunday and Holidays, If any, proposed to be prefixed/suffixed to leave क्रम में Suffix
8. आवेदित अवकाश का कारण :
Ground on which leave is applied for
9. पूर्व अवकाश से लौटने की तिथि, अवधि तथा उसकी प्रकृति :
Date of return from last leave, and the nature and period of that leave
10. मैं ब्लाक वर्ष की अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा छूट के लिए प्रस्ताव करता हूँ/नहीं करता हूँ : हॉ/नहीं
I propose /do not propose to avail myself of leave travel concession for the block years during the ensuing leave. : Yes/No.
11. अवकाश की अवधि में पता Address during leave period :

दिनांक Date20

आवेदक के हस्ताक्षर Signature of applicant

12. Remark/recommendation of the forwarding Officer
अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुत

दिनांक Date20

हस्ताक्षर Signature
पदनाम Designation

श्री/श्रीमती Sri/Smt. कृपया आख्या दें। Please Report.

दिनांक Date20

हस्ताक्षर Signature

आवेदक को दिनांक20 तक दिन का अर्जित/अर्द्धवेतन/परिवर्तित अवकाश देय है।
..... days Earned/H.P.L./ Commuted leave is due upto 20..... to the Applicant.

दिनांक Date20

हस्ताक्षर Signature

अवकाश की अनुमन्यता के बारे में प्रमाण पत्र
CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE

13. प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय सिविल सर्विसेज (अवकाश) नियम 1972 तथा नियम 26/29/30 के अधीन दिनांक से दिनांक तक दिन का अर्जित/अर्द्धवेतन/परिवर्तित अवकाश पूर्व में दिनांक तथा क्रम में दिनांक सहित अनुमन्य है।
Certified that Earned/H.P.L./Commuted leave for days from to with prefixing and suffixing is admissible under Rule 26/29/30 and the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

दिनांक Date20

हस्ताक्षर Signature
पदनाम Designation

14. अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के आदेश
Order of the authority competent to grant leave.

स्वीकृत/अस्वीकृत
Sanctioned/ Refused

दिनांक Date20

निदेशक/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Director/ Sanctioning Officer
पदनाम Designation

यदि आवेदक कोई प्रतिकर भत्ते आहरित कर रहा है तो आदेश में भी उल्लिखित होना चाहिए कि अवकाश की समाप्ति पर आवेदक की उसी पद या अन्य पद पर लौटने की संभावना है जिसके लिए वह वही भत्ता ले रहा है।

If the applicant is drawing any compensatory allowance, it should also be indicated in the orders on the expiry of leave, the applicant is likely to return to the same post or to another post carrying similar allowance.